न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानीः—सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

नर्वदा पत्नि मोती जाति गुर्जर वगै0 निवासी डांगरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2016/00327

रैफरेन्स संख्या 2/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.7.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उनवानी रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआरएक्ट के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा 26.9.2006 को न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वाके ग्राम डांगरवाडा के खाता संख्या 1 पर ख0न0 328 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा मे से 4 बिस्वा भूमि का आवंटन होकर नामा0 संख्या 569 दिनांक 10.2.1983 से मोत्या पुत्र भैरू गुर्जर निवासी गैर खातेदारी प्राप्त हुई है तथा नामा0 संख्या 689 दिनांक 9.6.1987 से खातेदारी प्राप्त हुई है। उक्त ख0न0 के भूप्रबंध विभाग द्वारा नये नम्बर 1188 रकबा 0.02 है0 बनाये गये है। उक्त आवंटन भू.राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तलाई,नदी, नाले,उपनदी, इत्यादि जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नही होने के कारण डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार ने माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के बिन्दु संख्या 4 की पालना में उक्त नियम विरूद्व आवंटन से पटवार कागजात में हुए परिवर्तन के कारण यह रैफरेन्स पेश किया गया है। उक्त रैफ. इस न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.3.2008 को माननीय राजस्व मण्डल को रैफर किया गया था किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.01.2015 द्वारा उक्त रैफरेन्स को अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार किया जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ लौटा कर निर्देश दिये गये है कि राजस्व मण्डल द्वारा व्यक्त मतानुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण करावे और वर्तमान जमाबन्दी में अंकन मूलतः जिस आदेश से सृजित हुए है उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर नये सिरे से रैफरेन्स पेश करने को स्वतंत्र है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अनुसार उक्त राजस्व अंकनो का आधार आवंटन है तथा उक्त आवंटन की मूल आवंटन मिसल जिला अभिलेखागार एवं तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने बाबत संबंधितों से रिर्पोट प्राप्त हो चुकी है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार पालना करने हेतु मूल आवंटन मिसल तलब की गयी किन्तु मूल आवंटन मिसल उपलब्ध नही होने के कारण उक्तानुसार वर्णित आवंटन आदेश की वैधानिकता का परीक्षण किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि सम्वत् 2004 से 2040 तक की जमाबन्दी एवं अन्य पुराना रिकार्ड जिसमे उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज हो, को रिकार्ड पर लिया जावे, यदि सम्वत् 2004 (15.8.1947) को उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज थी एवं जिस आवंटन/नियमन आदेश से यह भूमि अप्रार्थी के पूर्वज मोत्या के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है उक्त आदेश को रिकार्ड पर लिया जावे। यदि प्रकरण रैफरेन्स योग्य बनता हो तो पुनः रैफरेन्स तैयार कर इस [illegible] से पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Khushaal Yadav Date: 2024.09.24 13:17:05 IST Reason: SelfAttested (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner